दिनांक 14.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 24/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बाराबंकी/थाना मसौली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 14.05.2025 को थाना मसौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बॉसा चौराहा रहरामऊ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मसौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मसौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय कुमार निवासी ग्राम मुश्काबाद थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बहराइच/थाना मटेरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 05 लाख 77 हजार 410 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 13.05.2025 को थाना मटेरा व स्वॉट/सर्विलॉस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त सुभाकर को गिरफ्तार कर चोरी की

घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 लाख 77 हजार 410 रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मटेरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मटेरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद नगद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मटेरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुभाकर निवासी असरफा परसोरा थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–चोरी के 05 लाख 77 हजार 410 रूपये नगद आदि।

जनपद बरेली/थाना बारादरी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 04 लाख 72 हजार रूपये (कीमत) के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **02 हजार 200 रूपये नगद**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13.05.2025 की रात्रि थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान संजय नगर माधौबाडी के पास से 02 अभियुक्तों 1–सलीम 2–हिमाशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 04 लाख 72 हजार रूपये (कीमत) के सोने–चॉदी के आभूषण, 02 हजार 200 रूपये नगद, 02 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पर अभियोग पंजीकृत कर

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलीम निवासी हजियापुर थाना बारादरी जनपद बरेली।

2—हिमाशु निवासी मोहल्ला संजयनगर थाना बारादरी जनपद बरेली।

बरामदगी

1—चोरी के लगभग 04 लाख 72 हजार रूपये (कीमत) के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—02 हजार 200 रूपये नगद।

3—02 मोटर साइकिल।

जनपद रामपुर/थाना सिविल लाइन

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 13/14.05.2025 की रात्रि थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पद्धति रोड के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 03 अभियुक्त 1—इकरार 2—साजिद 3—फैमान उर्फ फरमान घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त साजिद के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधडी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त

फैमान उर्फ फरमान के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त इकरार के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इकरार निवासी बजरिया खान सामा थाना गंज जनपद रामपुर।

2–साजिद निवासी ग्राम अब्दुल्ला थाना मिलक जनपद रामपुर।

3–फैमान उर्फ फरमान निवासी तीतर वाली पाखड थाना गंज जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना सिहानी गेट

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 14.05.2025 को थाना सिहनी गेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान हमदर्द ग्राउंड के पास बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–ऑशु उर्फ आश मोहम्मद घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–प्रमोद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनमें अभियुक्त ऑशु उर्फ आश के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर 18 आपराधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ऑशु उर्फ आश मोहम्मद निवासी मोहल्ला मेवातियॉन पीपल वाली मस्जिद के पास थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2—प्रमोद निवासी ब्रिज बिहार थाना मुरादनगर गाजियाबाद।

बरामदगी

1—01 दो पहिया वाहन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 13.05.2025 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बिलासपुर जंगल के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दानिश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मण्डी पर सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दानिश निवासी ग्राम बागोवाली थाना नई मण्डी, जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना फूलपुर</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 18 लाख रूपये (कीमत) के 150 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 14.05.2025 को थाना फूलपुर व नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 18 लाख रूपये (कीमत) के 150 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—ओम प्रकाश निवासी ग्राम बाबूगंज थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 18 लाख रूपये (कीमत) के 150 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

➢ **जनपद बस्ती/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3(1)यू.पी.गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत 07 अभियुक्तों 1–अब्दुल मन्नान 2–अब्दुल सत्तार 3–छोट्टन उर्फ इलियास 4–आरिफ 5–मो0 सगीर 6–मो0 शब्बीर खॉ 7–मो0 शादाब उर्फ शब्बू को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0ः–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 6.500 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 13–05–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को 6.500 किलोग्राम अफीम (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य 32.50 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– पवन सिंह पुत्र डुगरसिंह, निवासी खगाई नागा, थाना बहेड़ी, बरेली।

2– खूश्बू उर्फ खुशी पत्नी राजू साव निवासी नियामतपुर, आसनसोन, बर्धमान प0बं0।

बरामदगीः–

1. 6.500 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य 32.50 लाख रूपये)
2. 02 अदद मोबाइल फोन
3. 01 अदद आधार कार्ड
4. 01 अदद डीएल।
5. 01 अदद चार पहिया वाहन नं0 यूपी 14 सीजे 1311

<u>गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः–</u>

गोरखनाथ ओवर ब्रिज के पास, थाना क्षेत्र कोतवाली गोरखपुर। दिनांक 13–05–2025 समय 23.55 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री दीपक कुमार सिंह, रिजवान खॉ, उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह, मु0आ0 समशेर सिंह, मु0आ0 भूपेन्द्र सिंह मु0आ0 सुनील राय आरक्षी अंकित पाण्डेय अंकित सिंह एसटीएफ लखनऊ एवं उ0नि0 उमेश सिंह, विनय सिंह, अभिलाष तिवारी, गौरव सिंह, नसरूद्दीन की टीम जनपद गोरखपुर में भ्रमणषील थी। इस दौरान विश्वसनीय स्त्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह की एक महिला सदस्य नरकटियागंज बिहार से मादक पदार्थ (अफीम) लेकर गोरखपुर आने वाली है, इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उपरोक्त स्थान पर पहॅुचकर उपरोक्त 02 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त बारामदगी हुयी।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त पवन सिंह ने बताया कि वह बरेली का रहने वाला है, उसका एक संगठित गिरोह है। इस गिरोह का सरगना नेत्रपाल है। गिरोह द्वारा बिहार, झारखण्ड के जंगलो से कम दामों में अवैध मादक पदार्थ (अफीम) मंगाकर उत्तर प्रदेष, उत्तराखण्ड, पंजाब आदि राज्यों में सप्लाई किया जाता है। नरकटियागंज निवासी महिला तस्कर बिहार से अफीम लेकर गोरखपुर आती है। जिसके बाद गिरोह के सदस्यों द्वारा बरेली से गोरखपुर आकर अफीम प्राप्त कर लिया जाता है। इस गिरोह द्वारा यह काम पिछले कई वर्षो से किया जा रहा है। उपरोक्त महिला तस्कर इसके पूर्व में भी कई बार अफीम की खेप लाकर दे चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 113/2025 धारा 8/18एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

एस०टी०एफ०:-पंजाब राज्य से अवैध असलहा लाकर उ०प्र० में सप्लाई करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 13–05–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को मु0अ0सं0 693/2024 धारा 109(1)/3(5)/318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2)(क) बीएनएस व 3/5/25/27/25(8)/7/25(1)(1क)/25 (1)क आर्म्स एक्ट थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ में वांछित अन्तर्राज्यीय गैग के सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विपिन कुमार पुत्र जगदीश निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-

दिनांक 13–05–2025, समय–15:10, बजे स्थान–ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में अवैध असलहों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के मार्गदर्शन में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उक्त क्रम में दिनांक 23–11–2024 को अभियुक्त रोहन पुत्र राकेश कुमार नि0 ग्राम लोहडडा थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत को 17 अवैध बन्दूको एवं 700 कारतूस सहित एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था एवं उसके विरूद्ध थाना कंकरखेड़ा, मेरठ में मु0अ0सं0 693/2024 धारा 109(1)/3(5)/318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2)(क)बीएनएस व 3/5/25/27/25(8)/7/25 (1) (1क) /25

(1)क आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी पुत्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सिसौली थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर को दिनांक 20—12—2024 को 1. 01 अदद US RIFLE WINGHESTER .30 बोर कारबाईन, 01 अदद मैंगजीन US RIFLE WINGHESTER .30 बोर कारबाईन, 15 अदद जिन्दा कारतूस US RIFLE WINGHESTER .30 बोर कारबाईन, 01 अदद US RIFLE SPRING FIELD ARMORY .30 बोर एंव 01 अदद पम्प गन रिपीट 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

इस अभियोग में अन्य वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 13—05—2025 को एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ से निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री जयवीर सिंह, हैड कान्स0 रकम सिंह, हैड कान्स0 विनय, हैड कान्स0 रोमिश तोमर, हैड कान्स0 प्रदीप धनकड, की टीम द्वारा वांछित अभियुक्त विपिन कुमार उपरोक्त ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि उसका साथी रोहन पुत्र राकेश नि0 ग्राम लोहडडा थाना बडौत जनपद बागपत है। जिसका गांव उसके गांव से करीब 1 किमी0 की दूरी पर है। रोहन से उसकी काफी समय से जान पहचान थी। रोहन ने उसे बताया था कि वह अवैध असलहा का व्यापार करता है। यदि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ तो इसमे काफी मुनाफा होगा। करीब सात आठ महीने पहले रोहन व उसके साथियो ने उसे .30 बोर का एक अवैध पिस्टल डेढ लाख रूपये में दिया था जिसे विपिन उपरोक्त ने विजय निवासी किनौनी जनपद मेरठ को दो लाख रूपये मे बेच दिया था। वह पैसा कमाने के लालच मे रोहन व उसके साथी अनिल बालियान उर्फ बंजी आदि से जुड गया था। इससे रोहन ने यह भी कहा था कि वह एवं उसके साथी अनिल बालियान उर्फ बंजी आदि पंजाब से कुछ अवैध बन्दूके, पिस्टल व कारतूस लेकर आयेगे जिनमें से कुछ असलहा व कारतूस सप्लाई करने के लिए इसे देगें। जिसे अपने जान पहचान के किसी ऐसे आदमी को बेचना जो मामले को लीक ना करे।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 693/2024 धारा 109(1)/3(5)/318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2)(क) बीएनएस व 3/5/25/ 27/25(8)/7/25 (1) (1....क)/25 (1)क आर्म्स एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————